वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की वित्त समिति की 17वीं बैठक दिनांक 11.02.2021 के विनिश्चिय (निर्णय)

प्रो0 नरेन्द्र एस0 चौधरी, मा0 कुलपति , वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देहरादून की अध्यक्षता में 17वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.02.2021 दिन गुरूवार समय 11 बजे से आयोजित/सम्पन्न हुई। वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :–

क्र0स0	नाम	पदनाम
01	प्रो0नरेन्द्र एस0 चौधरी, मा0 कुलपति वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,दे0दून	अध्यक्ष
02	श्री एम0एस0 सेमवाल, अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
03	श्री एस0एस0टोलिया, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
04	श्री एस0पी0 तिवारी, उप–सचिव, तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
05	श्री एस0एस0 मिश्रा, अनुसचिव, चिकित्सा शिक्षा , उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
06	श्रीमती कविता नबियाल, वित्त नियत्रंक वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,दे0दून	संयोजक/सदस्य
07	श्री आर0पी0 गुप्ता कुलसचिव, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,दे0दून	आमंत्रित सदस्य
08	प्रो0 वाई0 एस0 नेगी, निदेशक, आई0एच0एम0सी0टी0 नई टिहरी	सदस्य
09	प्रो0 के0एस0 मेर, निदेशक, तकनीकी संस्थान गोपेश्वर	सदस्य

उक्त बैठक में प्रो0के0एस0मेर, सदस्य वित्त समिति/निदेशक, तकनीकी संस्थान गोपेश्वर द्वारा ऑनलाईन रूप में प्रतिभाग किया गया। सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदय द्वारा वित्त समिति में उपस्थित समस्त सदस्योंगणों का स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक आरम्भ की गई । तत्पश्चात वित्त समिति द्वारा एजण्डा बिन्दु 01 पर विगत 16वीं बैठक दिनांक 19.12.2019 के कार्यवृत्त की पुष्टि करते हुये एजेण्डा में उल्लेखित बिन्दुवार निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

एजेण्डा बिन्दु	एजेण्डा बिन्दु	वित्त समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का औचित्य	वित्त समिति का निर्णय/संस्तुति
बिन्दु–01	विगत 16वीं बैठक दिनांक 12.04.2019 विनिश्चियों पर कृत कार्यवाही– (1) **बिन्दु–10(3)**यू0टी0यू0 से सम्बद्ध संस्थान गुरू नानक एजुकेशन ट्रस्ट (हरमेश) पर परीक्षा शुल्क एवं सम्बद्धता शुल्क के रूप में 2012–13 से 2013–14 तक रू0 8184550.00 बकाया थे। यू0टी0यू0 से सम्बद्ध संस्थान गुरू नानक एजुकेशन ट्रस्ट हरमेश द्वारा विश्वविद्यालय में दिये गये सपथ पत्र के अनुसार बकाया शुल्क समय पर जमा न किये जाने के कारण दिनांक मई,2013 से नवम्बर, 2018 तक का रू0 5000 प्रतिदिन की दर से कुल धनराशि रू0 99,80,000.00 अर्थदण्ड की धनराशि माफ/वसूली के सम्बन्ध में प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। वित्त समिति द्वारा संस्थान की वास्तविक वित्तीय स्थिति प्राप्त कर आगामी वित्तीय समिति की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।	16वीं वित्त समिति द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में **बिन्दु–10(3)** संस्थान से वित्तीय स्थिति चाही गयी थी, संस्थान द्वारा अवगत कराया गया हैं कि संस्थान विगत कई वर्षो से बन्द है तथा संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय से अर्थदण्ड की धनराशि माफ करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस सम्बन्ध में विधिक राय प्राप्त की गई है। प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत।	इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरांत वित्त समिति द्वारा हरमेश संस्थान पर अर्थदण्ड के रूप में देय कुल धनराशि रू0 99,80,000.00 माफ/वसूली किये जाने हेतु प्रकरण से सम्बन्धित सभी अभिलेखों/साक्ष्यों सहित तकनीकी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन के माध्यम से न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया ।
बिन्दु–02	**वित्तीय वर्ष 2019–20 का अनुमोदित आय–व्यय अनुमान** उ0त0वि0 की अनु0 आय : **40.45 करोड़** उ0त0वि0 का अनु0व्यय : **44.37 करोड़**	16 वीं वित्त समिति से द्वारा अनुमोदित आय व्ययक (विस्तृत आय–व्ययक सलंग्नक)	प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरांत वित्तीय वर्ष 2019–20 के वास्तविक आय–वास्तविक व्यय पर सर्व सम्मति से वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान

	वित्तीय वर्ष 2019–20 का वास्तविक आय–व्यय वास्तविक आय : **26.88 करोड़** वास्तविक व्यय : **11.57 करोड़**	वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुमानित आय के सापेक्ष शासकीय निर्माण अनुदान मद मे आय, शोध छात्रों से शुल्क प्राप्ति न होने तथा विश्वविद्यालय फीस (इनरोलमैंट / पी0डी0सी0 / माईग्रेशन / पंजीकरण शुल्क मद आदि) मे प्रर्याप्त आय प्राप्त न होने के कारण अनुमान के सापेक्ष कम आय प्राप्त हुयी है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019–20 अनुमानित आय के सापेक्ष शासकीय निर्माण अनुदान प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्यदायी संस्था को विश्वविद्यालय का अंश जारी न होने के कारण अनुमान के सापेक्ष कम व्यय हुआ है।	किया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 का वास्तविक आय–व्यय अनुमोदित :– वास्तविक आय : 26.88 करोड़ वास्तविक व्यय : 11.57 करोड़
बिन्दु–03	**उ0त0वि0 हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 का आय–व्यय अनुमान अनुमोदित** अनुमानित आय : 33.49 करोड़ अनुमानित व्यय : 31.06 करोड **बचत : 02. 43करोड़**	वित्त वर्ष 2020–21 हेतु अनुमानित आय रू0 33.49 करोड़ के सापेक्ष अनुमानित रू0 31.06 करोड़ का आय–व्ययक अनुमान वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	**प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा उपरांत वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु अनुमानित आय– व्ययक पर सर्व सम्मति से वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।** **वित्तीय वर्ष 2020–21 का अनुमानित आय–व्यय अनुमोदित :–** अनुमानित आय : रू0 **33.49** करोड़ अनुमानित व्यय : रू0 **31.06** करोड़
बिन्दु–04	05 संघटक संस्थानों के निर्माणाधीन अनावासीय भवन निर्माण हेतु समय अवधि दिनांक 31.03.2021 तक विस्तार हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय के 05 संघटक संस्थानों के निर्माणाधीन अनावासीय भवन निर्माण हेतु समय पर धनराशि / बजट शासन प्राप्त न होने के कारण परियोजनायें पूर्ण नहीं हो पायी है जिनकी कार्य अवधि का विवरण निम्नवत् हैः–	**वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय की समस्त निर्माणाधीन अनावासीय भवनों की प्रगति पर चर्चा उपरांत लागत में वृद्धि न किये जाने की शर्त पर दिनांक 31.03.2021 तक अवधि विस्तारण के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया।**

क्र स	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	कार्यदायी संस्था को अवमुक्त धनराशि		कुल अवमुक्त धनराशि	भौतिक प्रगति
			शासकीय	यू0टी0यू 0		
1	एस0आई0टी0	2273.25	700.00	719.29	1419.29	55 %

	पिथौरागढ़				
2	तकनीकी संस्थान गोपेश्वर	2109.38	1048.86	1049.86	2098.72	98 %
3	बौन उत्तरकाशी	2273.88	775.00	800.00	1575.00	70 %
4	महिला तकनीकी संस्थान सुद्धौवाला	1639.20	719.05	819.60	1338.65	81 %
5	तकनीकी संस्थान टनकपुर	2073.35	595.96	779.00	1295.96	75%

अतः उक्त संघटक संस्थानों के निर्माण कार्य की अवधि दिनांक 31.03.2021 तक लागत वृद्धि न किये जाने की शर्त पर विस्तारित किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

बिन्दु–05

यू0टी0यू0 निधि से निर्मित /निर्माणाधीन 09 कार्यो पर पूर्व वित्त समिति एवं शासन से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण परियोजनाओं की कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पुनः वित्त समिति में प्रस्तुत।

यू0टी0यू0 निधि से निर्मित /निर्माणाधीन 09 परियोजनायें जो लगभग पूर्ण है एवं प्रयोग में लायी जा रही है । जिनका विवरण निम्नवत् है:–

क्र स	परियोजना का नाम	भवन समिति द्वारा स्वीकृत लागत	क्रमिक व्यय	अवशेष धनराशि
1	तकनीकी संस्थान गोपेश्वर हेतु प्री–फेब्रिकेटड स्टील स्ट्रक्चर निर्माण कार्य (2013–14)	417.74	400.00	17.74
2	तकनीकी संस्थान गोपेश्वर हेतु प्री–फेब्रिकेटड स्टील स्ट्रक्चर निर्माण कार्य तक पहुँच मार्ग एवं अन्य संगत निर्माण कार्य (2013–14)	51.00	46.00	05.00
3	राष्ट्रीय राजमार्ग 07 पर यू0टी0यू0 साईनेज कार्य निर्माण (2013–14)	18.68	14.944	3.736
4	पॉलिटैक्निक परिसर सुद्धौवाला में आवंटित भवन पर स्टील स्ट्रक्चर था संगत अन्य निर्माण कार्यो का पुनरीक्षित आगणंन (2013–14)	83.09	40.28	42.81

वित्त समिति द्वारा यू0टी0यू0 निधि से निर्मित /निर्माणाधीन 09 कार्यो पर सर्वसम्मिति से कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया । साथ ही वित्त समिति की संस्तुति को विश्वविद्यालय की आगामी कार्यपरिषद की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

5	प्रशासनिक भवन की चाहरदीवारी निर्माण कार्य सुद्धौवाला (2014–15)	155.05	139.54	15.51	95 प्रतिशत पूर्ण
6	प्रशासनिक भवन में निर्मित ऑडिटोरियम में सिविल/इलैक्ट्रीकल/अन्य संगत अतिरिक्त कार्य (2015–16)	352.95	317.655	35.295	कार्यपूर्ण
7	नवनिर्मित प्रशासनिक भवन परिसर में लैण्ड स्कैपिंग कार्य(2015–16)	269.13	124.00	145.13	कार्यपूर्ण
8	महिला तकनीकी संस्थान सुद्धौवाला हेतु कार्यशाला निर्माण (2015–16)	364.18	355.00	9.18	कार्यपूर्ण
9	मा0कुलपति आवास निर्माण कार्य (2015–16)	178.09	174.00	4.09	कार्यपूर्ण

उक्त परियाजनाओं पर व्यय विश्वविद्यालय की निधि से किया गया है 16वी वित्त समिति में कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। वित्त समिति द्वारा शासन से कार्योत्तर स्वीकृति लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया । इस क्रम में शासन के पत्रांक 250/लेख0/ दिनांक 03.02.2017, पत्रांक 1279/लेखा0/ दिनांक 02.06.2017, पत्रांक 1968/लेखा0 दिनांक 28.08.2017, पत्रांक 2619/लेखा0 दिनांक 13.12.2017, पत्रांक 745/लेखा0 दिनांक 28.03. 2018, पत्रांक 411/लेखा0 दिनांक 25.02.2019 एवं पत्रांक 521/लेखा0 दिनांक 05.09.2020 द्वारा वित्त समिति के निर्देशों के अनुपालन में उक्त परियोजनाओं की कार्योत्तर स्वीकृति हेतु शासन को पत्र प्रेषित किये गये एवं समय समय पर अनुस्मारक् भी प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी शासन से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त नही हो पाई है । उपरोक्त परियोजनायें लगभग पूर्ण हो चुकीं हैं एवं प्रयोग में लायी जा रही है । कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अन्तिम अवशेष धनराशि का भुगतान नही हो पा रहा है **। इस क्रम में शासन द्वारा अपने पत्र सं0 1082/XLI-A/2020-51/2017 दिनांक 05.11.**

		2020 (छायाप्रति सलंग्न) द्वारा उ0त0वि0 अधिनियम 2005 की धारा 20(2) एवं 20(4) के अधीन वित्त समिति की सस्तुति को विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के सम्मुख रखते हुये विधिनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है । उपरोक्त के दृष्टिगत एवं शासन के निर्देशानुसार उक्त सभी परियोजनाओं की कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पुनः वित्त समिति में प्रस्तुत हैं, जिससे उक्त परियोजनाओ की औपचारिकताऐ पूर्ण कराकर अवशेष धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त की जा सके।	
बिन्दु–06	परीक्षा भवन व अतिथि गृह निमार्ण हेतु रु0 12.00 करोड़ के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव वित्त समिति में प्रस्तुत ।	परीक्षा अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया कि परीक्षा कार्यो हेतु पर्याप्त स्थान /भवन/अतिथि गृह न होने के कारण परीक्षा कार्यो का संचालन करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। परीक्षा भवन व अतिथि गृह निर्माण हेतु रु0 12.00 करोड का व्यय होना अनुमानित है। अतः परीक्षा भवन व अतिथि गृह निर्माण हेतु रू0 12.00 करोड का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत।	इस प्रस्ताव पर कुलसचिव महोदय द्वारा वित्त समिति को अवगत कराया गया है विश्वविद्यालय के निर्मित भवन में परीक्षा संचालन एवं उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन/स्टोर किये जाने हेतु प्रर्याप्त स्थान उपलब्ध न होने पर परीक्षा भवन बनाये जाने की आवश्यकता है। वित्त समिति द्वारा परीक्षा भवन तथा परीक्षको हेतु विश्राम गृह निर्माण कराये जाने हेतु अनुमोदन इस शर्त पर दिया गया उक्त कार्य हेतु गठित आगणनं पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। विश्वविद्यालय द्वारा यह कार्य अपनी निधि से कराया जायेगा तथा समस्त कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली व संगत शासनदेशों में निहित प्राविधानों के तहत कराया जाय।
बिन्दु–07	यू0टी0यू0 से सम्बद्ध संस्थानों में	विश्वविद्यालय द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों (LLB/	विश्वविद्यालय में संचालित व्यावसायिक

	व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (यू0जी0 व पी0जी0 पाठयक्रमों) के संचालन हेतु सम्बद्धता शुल्क 2020–21 से (तकनीकी पाठ्यक्रमानुसार) निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। **एल0एल0बी0 रू0 1.00 लाख प्रतिवर्ष** **एल0एल0एम0 रू0 1.00 लाख प्रतिवर्ष** BA-LLB **रू0 50.00हजार प्रतिवर्ष** BBA-LLB **रू0 50.00 हजार प्रतिवर्ष**	**LLM/B.A.LLB/BBA&LLB**) के संचालन हेतु सम्बद्धता शुल्क लिये जाने हेतु विगत वित्त समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था परन्तु शुल्क निर्धारण नही किया गया था । अतः वित्तीय वर्ष 2020–21 से व्यवसायिक पाठ्यक्रमों (यू0जी0 व पी0जी0 पाठयक्रमों) के संचालन हेतु सम्बद्धता शुल्क (तकनीकी पाठ्यक्रमानुसार) निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	पाठ्यक्रमों पर वित्तीय वर्ष 2020–21 से निम्नानुसार सम्बद्धता शुल्क लागु किये जाने हेतु प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। **एल0एल0बी0 रू0 1.00 लाख प्रतिवर्ष** **एल0एल0एम0 रू0 1.00 लाख प्रतिवर्ष** BA-LLB **रू0 50.00हजार प्रतिवर्ष** BBA-LLB **रू0 50.00 हजार प्रतिवर्ष**
बिन्दु–08	विश्वविद्यालय के छात्रों के पजींकरण/रिजल्ट/ काउसंलिंग प्रक्रिया आदि के कार्यों हेतु सर्वर/साफ्टवेयर आउटसोर्स ऐजेन्सी के माध्यम तीन वर्ष की अवधि हेतु बनवाने का प्रस्ताव अनुमोदनार्थ वित्त समिति में प्रस्तुत।	परीक्षा अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय कार्यो को डिजीटिलाईजेशन करवाये जाने हेतु आउटसोर्स ऐजेन्सी के माध्यम से सेवायें लिया जाना प्रस्तावित है। इस कम में आगामी तीन वर्षो की अवधि हेतु आउटसोर्स ऐजेन्सी के माध्यम से एक सर्वर/साफ्टवेयर निर्मित/कय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति द्वारा पजींकरण/रिजल्ट/काउसंलिंग प्रक्रिया आदि के कार्यों हेतु सर्वर/साफ्टवेयर आउटसोर्स के माध्यम से किसी प्रतिष्ठित फर्म से कराये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया । साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि सम्बन्धित फर्म ब्लैक लिस्टेड न हो। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमो का पूर्ण पालन किया जाये।
बिन्दु–09	एम0फार्मा0 के अतिथि शिक्षकों को यू0जी0सी0 के मानकों के अनुसार प्रति व्याख्यान मानदेय दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव वित्त समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	एम0फार्मा0 संकाय में अतिथि शिक्षकों से भी शिक्षण कार्य सम्पन्न कराये जाते है। यू0जी0सी0 के पत्र संख्या एफ025–1/2018 PS/MISC दिनांक 28.01.2019 द्वारा अतिथि शिक्षकों हेतु मानदेय रू 1500 प्रति लैक्चर तथा माह में अधिकतम रू 50000.00 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है । विश्वविद्यालय में संचालित एम0फार्मा0 संकाय के अतिथि शिक्षकों को यू0जी0सी0 के उक्त पत्र दिनांक 28.01.2019 के अनुसार मानदेय दिये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति	**इस प्रस्ताव पर चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि अतिथि शिक्षकों को प्रति लैक्चर रू0 1000 एवं अधिकतम रू0 35000.00 प्रतिमाह के भुगतान किये जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके**

		के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।
बिन्दु–10	विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं में विश्वविद्यालय के कार्मिकों द्वारा अतिरिक्त कार्य किये जाने की एवज में पारिश्रमिक/मानदेय दिये जाने के संबंध में प्रस्ताव वित्त समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय द्वारा प्रति वर्ष में दो सेमेस्टरों की परीक्षायें आयोजित की जाती हैं । परीक्षाओं में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा आबंटित कार्यो के अतिरिक्त कार्य भी किया जाता है । अतः परीक्षा कार्यो में योगदान दिये गये कर्मचारियों को अतिरिक्त कार्य के लिये दिये गये योगदान हेतु कर्मचारियों को क्रमशः रू0 7000 मानदेय दिये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति द्वारा सेमेस्टर परीक्षा कार्यो मे कार्यवधि के अतिरिक्त समय पर सेवा दे रहे ही कार्मिकों को वर्ष में एक बार परीक्षा नियंत्रक द्वारा अतिरिक्त कार्य सत्यापित किये जाने पर रू0 7000.00 की धनराशि मानदेय के रूप में भुगतान किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु–11	एक सेमेस्टर में आयोजित परीक्षा कार्यो हेतु एक शिक्षक को रू0 30,000.00 से अधिक भुगतान न किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय में संबंद्ध संस्थानों में वर्ष में दो बार सेमेस्टर परीक्षायें आयोजित की जाती हैं जिसके अर्न्तगत शिक्षकों को प्रश्न पत्र सैटर, प्रश्न पत्र मौडरेशन, परीक्षा कार्यो हेतु डयूटी, उडन दस्ता, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन इत्यादि कार्य सम्पन्न कराये जाते हैं। उपरोक्त कार्यो हेतु एक सेमेस्टर हेतु एक शिक्षक को (केन्द्र अधीक्षक को छोडकर) रू0 30,000.00 से अधिक भुगतान नही किया जायेगा। प्रस्ताव वित्त समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु–12	उत्तरपुस्तिका पुनःमूल्यांकन हेतु छात्रों से लिये जाने वाला निर्धारित शुल्क रु0 2,000 पुनःमूल्यांकन उपरान्त छात्रों को वापस न किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	उत्तरपुस्तिका पुनःमूल्यांकन हेतु निर्धारित शुल्क रु0 2,000 निर्धारित हैं। पुनःमूल्यांकन में 15 प्रतिशत से अधिक अंक वृद्वि होने पर छात्र को रु0 2000.00 शुल्क वापस किया जाता है। अतः उत्तरपुस्तिका पुनः मूल्यांकन व्यय को दृष्टिगत रखते हुए उत्तरपुस्तिका पुनःमूल्यांकन शुल्क रु0 2,000/–Non Refundable किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु–13	स्थानीय(देहरादून) उड़नदस्ता के साथ ड्यूटी किये जाने पर विश्वविद्यालय के वाहन चालको को रु0 250 प्रतिदिन की दर से मानदेय के भुगतान हेतु प्रस्ताव वित्त समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	परीक्षा दौरान उड़नदस्ते के साथ वाहन चालको द्वारा भी लगभग प्रातः 6 बजे से देर सांय 7 बजे तक ड्यूटी की जाती हैं। उड़न दस्ते सदस्यो को प्रति पाली/कालेज निरीक्षण हेतु रु0 300.00 अधिकतम रु0 700.00 प्रतिदिन मानदेय प्रदान किया जाता हैं। किन्तु विश्वविद्यालय के वाहन चालको हेतु मानदेय निर्धारित नही है। अतः परीक्षा दौरान स्थानीय(देहरादून) उड़नदस्ते के साथ अतिरिक्त समयअवधि में कार्य किये जाने हेतु विश्वविद्यालय के वाहन चालको को भी रु0 250.00 प्रति दिन, अधिकतम रु0 2500 मानदेय की सीमा तक दिये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया** गया।
बिन्दु–14	एम0टैक अनुभाग यू0टी0यू0 से प्राप्त प्रस्ताव/सुझाव यू0टी0यू0 एम0टैक वेबसाईज डोमेन निर्माण हेतु रू0 50000.00 का अनुमानित व्यय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	यू0टी0यू0 एम0टैक पाठ्यक्रम के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिये विश्वविद्यालय वैबसाईट पर डोमेन की आवश्यकता है। इस कार्य हेतु रू0 50000 प्रतिवर्ष के व्यय का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु–15	विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिये गये गॉव में विभिन्न कार्यो हेतु रू0 1,50,000.00 का व्यय वित्त समिति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिये गये गाँव के प्राईमरी स्कूल सिंघनीवाला देहरादून में कम्प्यूटर क्रय, लाईब्रेरी स्थापना, ग्रीन बोर्ड क्लॉसरूम निर्माण, प्लाटेशन एवं ग्रामिणों को कोविड से जागरूक किये जाने हेतु समस्त कार्यो पर रू0 1,50,000.00 का व्यय वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु–16	विश्वविद्यालय के सम्बद्ध तकनीकी संस्थानों के विकास हेतु रू0 20.00 लाख के बजट प्राविधान स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव।	विश्वविद्यालय के सम्बद्ध तकनीकी संस्थानों के विकास हेतु Faculty Development Programe , Student Development Programe , Student Traning & Skill	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु

		Development Programe चलाये जाने हेतु रू0 20.00 लाख का बजट स्वीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु –17	विश्वविद्यालय द्वारा कोर्ट केस/विधिक सलाह आदि विधिक कार्यो हेतु अधिवक्ताओं को भुगतान किये जाने वालें Case/Retainer/Hearing शुल्क के निर्धारण किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय के विधिक अनुभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय के कोर्ट केस/विधिक सलाह आदि विधिक कार्यो हेतु अधिवक्ताओं को Case/Retainership/Hearing शुल्क भुगतान किये जाना प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ निम्नवत् प्रस्तावित हैः– 1. Retainer शुल्क प्रति वकील को रू0 30000/– मासिक भुगतान का प्रस्ताव, 2. Retainer को प्रति केस रू0 16500/– के भुगतान का प्रस्ताव, 3. जो, Retainer नही है ऐसे वकीलों को प्रति केस रू0 35000/– के भुगतान का प्रस्ताव, 4. वरिष्ठ वकीलों को प्रति सुनवाई रू0 30000/– के भुगतान का प्रस्ताव, 5. उपरोक्त 1 से 3 तक के अधिवक्ताओं को Clerk Charges extra as per need (Max Rs. 5000/- सम्पूर्ण केस के लिए) दिये जाने का प्रस्ताव,	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु –18	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन की मरम्मत कार्य हेतु रू0 1.00 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन की समय–समय पर विभिन्न मरम्मत कार्य आदि कराये जाने हेतु रू0 100.00 लाख व्यय किये जाने का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।
बिन्दु–19	विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर आयोजित की जाने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं के परीक्षा व्ययों का भुगतान सम्बद्ध/संघटक संस्थानों को न किये जाने	विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर परीक्षाएं सफलता पूर्वक कराने हेतु संघटक/सम्बद्ध संस्थानों में परीक्षा केन्द्र बनायें जाते है, इन परीक्षा केन्द्रों पर संस्थानों के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा परीक्षा कार्य किये जाते	**वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2020–21 से लागु किये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।**

	का प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	है। चूंकि परीक्षा कार्यो हेतु प्रशासनिक जिम्मेदारी संस्थानों/विश्वविद्यालय के छात्रों के हित में संस्थानों द्वारा निभाना आवश्यक है, विश्वविद्यालय के परीक्षा आय–व्ययक दृष्टिगत विश्वविद्यालय का वित्तीय–भार कम करने हेतु राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों की भांती विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा सम्बन्धी व्यय वर्ष–2021 से मान्य नही होगा। प्रस्ताव वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।	
	अन्य विषय मा0कुलपति महोदय की अनुमति से।	यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तें की दरें समय–समय पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशानुसार अनुमन्य होगीं।	वित्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक के अंत मे समस्त सदस्यों द्वारा मा0कुलपति महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक सम्पन्न हुई।

(प्रो0 वाई0एस0 नेगी)
निदेशक
आई0एच0एम0सी0टी0,
टिहरी

(एस0एस0मिश्रा)
अनुसचिव
चिकित्सा शिक्षा

(आर0पी0गुप्ता)
कुलसचिव
उ0त0वि0

(कविता नबियाल)
वित्त नियंत्रक
उ0त0वि0

(एस0पी0तिवारी)
उप–सचिव
तकनीकी शिक्षा

(आर0एस0टोलिया)
संयुक्त सचिव
वित्त

(एम0एस0 सेमवाल)
अपर सचिव
उच्च शिक्षा

प्रतिहस्ताक्षर

(प्रो0 एन0एस0 चौधरी)
कुलपति/अध्यक्ष